

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.स.(नि.)देव.- 06/2011:-

राँची,

दिनांक:-

आदेश

श्री महादेव पंडित, तत्कालीन प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, सं.- 2 लिटटीपाड़ा, शिविर- महगामा, गोड्डा के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प सं. 1798 दिनांक 26.02.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री पंडित के दिनांक 28.02.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. में सम्परिवर्तित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि.)।

ज्ञापांक:- 22 08

/राँची, दिनांक:- 6-5-15

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री महादेव पंडित, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव(नि.)।

06-5-15